

President :
Shri Naresh Sangani

श्री नरेश सांगाणी
Ph. 9420252502

Secretary :
Shri Sanjay Nevatia

श्री संजय नेवटिया
Ph. 9850397431

Treasurer
Dr. Arun Gampawar
डॉ. अरुण गंपावार
Ph.9822769726

Executive Members

Omprakash Jajodia
श्री ओमप्रकाश जाजोदिया

Sunil Mehadia
श्री सुनील मेहाडिया

Nikunj Murarka
श्री निकुंज मुरारका

Smt. Bindu Betharia
श्रीमती बिन्दु बेथारिया

Smt. Neeta Manohar
श्रीमती नीता मनोहर

Vinod Thakre
श्री विनोद ठाकरे

Co-opt
Ramesh Chhabra
श्री रमेश छाबरा
Jagdishchandra Kothari
श्री जगदीशचंद्र कोठारी
Neeraj Betharia
श्री नीरज बेथारिया
Subhash Patki
श्री सुभाष पत्की

VANDANA

CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

63, 64, 65 Farm land, Canal Road, Ramdaspath, NAGPUR-440010

E_mail : vandanacohhs@gmail.com

Website : www.vandanacohhs.com

Phone : 0712 - 2420022

No. :

Dated : 17/06/2025

विशेष सर्वसाधारण सभा के आयोजन का आमंत्रण - सूचना

प्रति

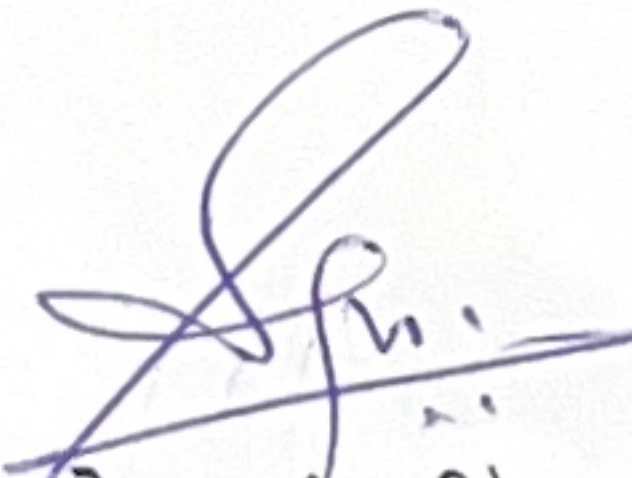
समस्त सदस्यगण

वंदना को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. की विशेष सर्वसाधारण सभा "वंदना बिल्डींग रिडेवलपमेंट" के संबंध में रविवार दि. १३/०७/२०२५ को प्रातः १०.३० बजे सोसायटी कार्यालय के सामने निर्धारित की गई है। जिसमें निम्नलिखित विषयोपर चर्चा की जाएगी। आप सभी सदस्यों की उपस्थिती प्रार्थनीय है।

१. संस्था के बिल्डींग का पुनर्विकास करनेबाबत सदस्यों की अनुमति १७/११/२०१९ को प्राप्त हुई है। इस निर्णय के बाद की प्रक्रीया पर सहमति लेना !
२. सोसायटी के पास कुछ डेव्हलपर्सने प्रस्ताव दिये है, उनमेसे कमिटी में चर्चा हुई है। सदस्योसे स्वीकृती के लिये मिले हुए प्रस्ताव पर चर्चा एवं स्वीकृती।
३. बिल्डींग का पुनर्विकास के लिये तज्ञ एवं अनुभवी प्रकल्प व्यवस्थापन सलाहकार की नियुक्ति करने बाबत उनके काम के बारे में अटी/शर्ती निश्चित करना।
४. लीगल सलाहकार की नियुक्ति करना।

जिस परिस्थितिसे विगत ५/१० साल से वंदनावासी गुजर रहे है उससे छुटकारा पाने के लिए एवं नये लेटेस्ट मॉडर्न सुविधा युक्त फ्लैट्स स्कीम में पुनर्वास के लिए हम सभी अति इच्छुक है और चाहते है की अपनी सोसाइटी का जल्द से जल्द रिडेवलपमेंट हो।

इसकी मान्यता हेतू सभी सदस्यों की उपस्थिती प्रार्थनीय/अनिवार्य है।
धन्यवाद!


(श्री नरेश सांगाणी)

अध्यक्ष


(श्री संजय नेवटीया)

सेक्रेटरी

विशेष सूचना

१. माननीय सदस्य या उनके अनुपस्थिति में सहयोगी सभासद (और पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर) इस सभा में व मतदान में हिस्सा ले सकते हैं।
२. सभासद के स्थान पर अन्य व्यक्ति (proxy) सभा में और मतदान में हिस्सा नहीं ले सकता।
३. विशेष सर्वसाधारण सभा का कोरम सोसायटी के कुल सभासद संख्या के २/३ इतना रहेगा (५४ सभासद) कोरम की पूर्तता न होने पर सभा स्थगित की जाएगी। और स्थगित सभा अगले एक महीने के भीतर अयोजित की जाएगी।